WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

MASIK PATRIKA

APRIL 2023

Address- WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

BOMBAY BAZAR, NEAR HANUMAN CHOWK, MEERUT CANTT- 250001 (U.P.) INDIA

Phone No. 0121- 2661238, 2661177; **Fax:** 0121-4346686

E-mail:wupcc@rediffmail.com **Website:**www.wupcc.org

- **Patron**
  Dr. Mahendra Kumar Modi
- **President**
  Dr. Ram Kumar Gupta
- **Sr. Vice President**
  Shri G.C. Sharma
- **Jr. Vice President**
  Shri Lokesh Kumar Singhal, Hapur
  Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar
- **Secretary / Editor**
  Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**
  Shri Rahul Das
- **Co-Chairman**
  Shri Sushil Jain
- **Members**
  Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
  Shri Rakesh Kohli
  Shri Trilok Anand
  Shri Rajendra Singh
  Shri Atul Bhushan Gupta
- **Co-Editor**
  Mr. Prashant Kumar

INDEX

- वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे बाजार सभागार में हुई विकास गोष्ठी, उधमियों के साथ शामिल हुए मेडा वीसी श्री अभिषेक पांडे
- मेरठ का बढ़ा रही मान... ऐसी महिलाओं का सम्मान
- मेडा बनाएगा डाटा बैंक, एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी
- मानचित्र के लिए करे आवेदन अब मेडा दिलाएगा एनओसी
- नक्शो का जल्द निस्तारण होगा, हर सप्ताह होगी समीक्षा
- मानचित्र सात दिन में पास होगा, लोगो को नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और दूसरे विभागों में नहीं भटकना पड़ेगा
- एमडीए की 17 योजनाओ का 20 दिन में होगा लैंड ऑडिट
- बिजली समस्या का नहीं हुआ समाधान तो मिलेगा मुआवजा
- 15 मिनट से ज्यादा बत्ती गुल रही तो देना होगा जवाब
- मेडिकल कॉलेजो को भू उपयोग बदलने पर शुल्क में छूट
- भू उपयोग बदलने पर नया शुल्क
- केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद
- खुशखबरी: पीएफ पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा
- कांवड़ पटरी मार्ग के निर्माण का रास्ता साफ, जल्द कटेंगे पेड़
- आयातित सामान पर भी हॉलमार्किंग होगी
- ई-फाइलिंग: मेरठ समेत कहीं से भी हाईकोर्ट में कर सकेंगे केस
- पैन निष्क्रिय होने पर रिफंड नहीं मिलेगा
- **India on track to achieve USD 2 trillion exports by 2030: Piyush Goyal**
- **FTP aims to spur e-commerce exports with series of measures**
- **Foreign Trade Policy 2023 unveiled, govt breaks tradition of target year**
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (महंगाई भत्ता 01-04-2023 से 30-09-2023)

वेस्टर्न यूपी चैंबर ऑफ कॉमर्स बॉम्बे बाजार सभागार में हुई विकास गोष्ठी, उधमियों के साथ शामिल हुए मेडा वीसी श्री अभिषेक पांडे

नया औधोगिक क्षेत्र, मल्टीलेवल पार्किंग जल्द

संगोष्ठी में मुख्य अतिथि वीसी श्री अभिषेक पांडे तथा विशिष्ट अतिथि कैंट विधायक श्री अमित अग्रवाल रहे। अध्यक्षता चैंबर अध्यक्ष डॉ. रामकुमार गुप्ता, संचालन सेक्रेटरी सरिता अग्रवाल ने किया। चैंबर अध्यक्ष डॉ. रामकुमार गुप्ता ने स्वागत भाषण प्रस्तुत किया। संगोष्ठी में मुख्य सहयोग अजय गुप्ता इंडस वैली कर रहा। अशोक कुमार गर्ग, जेके गुप्ता, सरदार राजेन्द्र सिंह, एपेक्स ग्रुप सीईओ अतुल गुप्ता, विश्वकर्मा इंडस्ट्रीयल एस्टेट निदेशक कमल ठाकुर, एसपी देशवाल, निदेशक साई इलेक्ट्रिकल निदेशक गिरीश कुमार, आईआईए अतुल भूषण गुप्ता, अनुराग अग्रवाल, उधमी अश्वनी गुप्ता, गिरीश मोहन गुप्ता, विनेश जैन, रजनीश कौशल, हाजी इमरान सिद्दीकी, शशांक जैन, एलके सिंघल, नील कमल पुरी, जीसी शर्मा, डॉ ब्रजभूषण, संदीप गुप्ता ऐल्फा, रवि विश्नोई, अंकित विश्नोई, हरदेश आदि रहे।

यह समस्याएं उठाई

उधमियों ने मेरठ शहर के नाला फ्री होने, स्ट्रीट फ़ूड वेंडर जोन, सड़कों की हालत सुधारने, शहर में अवैधानिक तरीके से विकसित होती कॉलोनियां, नए औधोगिक क्षेत्र, जुर्रानपुर बिजली बंबा बाईपास पर हवा में लटके पुल, रिंग रोड, औधोगिक क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई। वीसी ने आश्वासन दिया कि समाधान होगा।

औधोगिक विकास में नहीं छोड़ेंगे कोई कसर

कैंट विधायक अमित अग्रवाल ने शहर को जाम मुक्त बनाने, औधोगिक विकास के साथ शहर को स्वच्छ, सुंदर बनाने, रिंग रोड, दिल्ली रोड पर रामलीला मैदान के सामने बस अड्डा निर्माण समेत कई बिंदुओं पर सुझाव दिए। कन्वेंशन हॉल नौचंदी के बजाए अन्य क्षेत्र में बनाने को कहा। आश्वास्त किया कि औधोगिक विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। पुराने शहर को लाल डोरे के तहत रखे। उधमियों को सरकार की योजनाओ का लाभ दिया जाए और अव्यवहारिक शुल्क को बंद कराकर उधमियों को राहत दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा सभा में उपस्थित उधमियों विकासकर्ताओं एवं गणमान्य व्यक्तियों के समक्ष विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत बिन्दुओं पर विचार व्यक्त करने के उपरान्त निम्नलिखित विषयों पर वक्तव्य दिया:-

1. **Meerut Master Plan 2031** (मेरठ महायोजना-2031)

- महायोजना को **GIS** आधारित बनाया रहा है।
- मेरठ के प्रत्येक जोन का जोनल प्लान भी इस साल के अन्त (2023) तक पूर्ण स्वरूप में आने की सम्भावना है।

2. **Inner Ring Road** (ट्रैफिक समस्या)

- महायोजना अनुसार **Inner Ring Road** के निर्माण में देरी का कारण जागरण चौराहे पर **RRTS** का निर्माण कार्य का चलना है।
- जल्द ही **Inner Ring Road** के निर्माण कार्य को धरातल पर लाकर ट्रैफिक समस्या के समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे।

3. **Layout Plan Approval** (परियोजना मानचित्र स्वीकृति)

- साईट- प्लान एप्रूवल में होनेवाली देरी के निदान के लिए वेबसाईट पर NOC Sewa पोर्टल चालू किया गया है।
- साईट- प्लान एप्रूवल निस्तारण के लिए 10 दिन का लक्ष्य रखा गया है।

4. **Project Completion Certificate** (परियोजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र)

- अगले 6 महीनों में लगभग 60% कलोनी व भवनों को पूर्णता प्रमाण पत्र देने का प्रयास किया जायेगा।
- कम्पलीशन सर्टिफिकेट प्राप्त होने से पूर्व आवासीय परियोजना में RWA का गठन विकासकर्ता के सहयोग से सुनिश्चित किया जायेगा।

5. **UP Investor Summit** के सम्बंध में

- शहरी विकास के मुख्य घटक 'औधोगिकरण' के लिए प्रस्तावित परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जायेगा।
- **Jewellery Parts** के उत्पादन हेतु **Flatted Factory** परियोजना की स्थापना करने का लक्ष्य है।
- **City Development Plan** के अन्तर्गत शहर के लिए 10 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित करना जिनसे शहर को पहचान मिल सके।
- नौचन्दी ग्राउंड में **Town Hall** को भव्य कन्वेशन हाल में विकसित कर विकास की अन्य परियोजना को कार्यान्वित किया जायेगा।
- मेरठ में 80% मानचित्रो के नक़्शे स्वीकृत हो चुके है। **High Risk** वाले मानचित्रों में आने वाली कठिनाईयों को दूर करने का संकल्प है।
- विकास परियोजनाओं को गति प्रदान करने हेतु सभी जिम्मेदार सरकारी विभागों को एक पटल पर लाने का प्रयास है।

6. Public Parking Compounds

- जिलाधिकारी से वार्ता कर **Parking** के लिए जगह उपलब्ध कराने हेतु आग्रह किया गया है।
- स्थल आवंटन होने पर 15 दिन भीतर ही पार्किंग निर्माण की प्रक्रिया अमल में आ जायेगी।

7. मेरठ चौराहों एवं खाली स्थान का सौन्दर्यकरण

- चौराहों का सौन्दर्यकरण लैण्ड स्केप कराकर कराया जायेगा।
- चौराहों पर मेरठ की संस्कृति एवं औधोगिक पहचान को उजागर किया जायेगा।

8. Unauthorized Construction (अनाधिकृत निर्माण)

- जहां तक नियम संभव होगा पूर्व में हो चुके अनाधिकृत निर्माणों को करने की प्रक्रिया नियमानुसार अमल में लाई जायेगी।
- कोई भी नवीन अनाधिकृत निर्माण नहीं होने दिया जायेगा।

मेरठ का बढ़ा रही मान... ऐसी महिलाओं का सम्मान

अमर उजाला और वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ़ कॉमर्स बांबे बाजार की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उत्कर्ष्ट कार्य करने वाली 17 महिलाओं को किया सम्मानित

आज 21वीं सदी को नारी सदी के रूप में देखा जा रहा है। पहले जहां महिलांए सिर्फ परिवार तक सीमित थी, आज वह अपने कार्यक्षेत्र में निष्ठापूर्वक अपना कर्तव्य निभाने के साथ -साथ समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में भी पीछे नहीं है। ऐसी ही 17 महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में अमर उजाला और वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में सम्मानित गया।

मुख्य अतिथि ज्वाइंट मजिस्ट्रेट (आईएएस) जागृति अवस्थी, विशिष्ट अतिथि सुभारती विश्वविधालय की मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. शल्या राज, वेस्टर्न यूपी चेंबर ऑफ़ कॉमर्स के अध्यक्ष डॉ. रामकुमार गुप्ता और आईआईए के चैप्टर चेयरमैन सुमनेश अग्रवाल को पुष्प गुच्छ और प्रतीक चिह्न देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन में चेंबर अध्यक्ष रामकुमार गुप्ता ने कहा इस तरह के कार्यक्रम से सभी को प्रेरणा मिलेगी। नारी शक्ति को कम न आंके। नारी ही घर को स्वर्ग बनाती है।

मेडा बनाएगा डाटा बैंक, एक क्लिक पर मिलेगी जानकारी

जमीन के भू- उपयोग का चल सकेगा पता, आवंटियों का भी तैयार होगा ब्योरा

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) अब डाटा बैंक तैयार करेगा। इसके बाद एक क्लिक पर भूमि का भू - उपयोग पता चल सकेगा। इसी के साथ कौन सा प्लॉट किस आवंटी को दिया गया है, इसकी भी जानकारी मिल सकेगी। इसके लिए एमडीए ने लैंड ऑडिट की प्रकिया शुरू कर दी है। दो चरणों में होने वाली प्रकिर्या के बाद मेडा के पास पूरा डाटा रहेगा। अभी तक मेडा में सब कुछ हवा- हवाई है। कई योजनाओ में तो फाइले तक गायब है। बाबुओ ने एक-एक प्लाट कई- कई

आवंटियों को बेच डाले। ऐसे खुलासे होते रहे है। बाबुओ की ऐसी कारगुजारियो पर ही अंकुश लगाने की तैयारी है। वही दूसरी ओर जमीन के भू उपयोग को लेकर भी दिक्कते आती है। सार्वजनिक भू उपयोग, सामुदायिक, आवासीय, व्यवसायिक, मिश्रित, औधोगिक, शैक्षिक आदि भू उपयोग जल्द ही प्लाट की संख्या या मकान नंबर डालकर पता चल जाएगी। लैंड ऑडिट के बाद तैयार डाटा बैंक में पारदर्शिता आ जाएगी। संपत्ति का मूल आवंटी कौन है, संपत्ति का भू उपयोग क्या है, सभी ब्यौरा दर्ज होगा।

पार्क, डेयरी, होटल सब होगा इंगित

मेडा अपनी विभिन्न योजनाओ में टेबल टॉप सर्वे यानि पत्रावलियों के जरिए भूमि व आवंटी का चिह्नीकरण कर रहा है। यह शुरू कर दिया गया है। इसके तहत योजनाओ का ले आउट और मौजूदा स्थिति देखी जाएगी। इसी के तहत संपत्ति को जैसी है, यानि होटल, रेस्टोरेंट, पार्क, डेयरी, इंडस्ट्री, दुकान आदि के बारे में पूरा ब्यौरा रहेगा।

दो चरणों में होगा लैंड ऑडिट

मेडा उपाध्यक्ष अभिषेक पांडेय ने बताया कि अभी योजनाओ में कितने प्लॉट बिक गए, कितने शेष है और आवंटी कौन है, इन सबका पूरा विस्तृत ब्यौरा नहीं है। इसी के लिए लैंड ऑडिट शुरू किया गया है। पहले पत्रावलियों के जरिए यह खंगाला जाएगा इसके बाद फील्ड सर्वे के तहत मौके पर जाकर मुआयना किया जाएगा। प्लॉट रिक्त है या अवैध कब्ज़ा हो गया है, दोनों ही सूरत में इसे खाली कराया जाएगा। ऐसी संपत्तियों को नीलामी में रखा जाएगा।

जागृति विहार एक्सटेंशन में बिजली-पानी को तरसे आवंटी

जागृति विहार एक्सटेंशन में आवंटियों को कब्ज़ा लिए एक पखवाड़ा बीत गया है, लेकिन बिजली- पानी की अभी तक व्यवस्था नहीं हो सकी है। आवंटी सुशील पटेल ने कहा कि जिला प्रशासन और किसानो ने समन्वय स्थापित कर जैसे- तैसे सेक्टर- पांच आवंटियों को कब्ज़ा दिला दिया। उन्होंने बताया कि अभी तक बिजली पानी की व्यवस्था नहीं होने से लोग पीने के पानी को भी तरस रहे है। मज़बूरी में 700 रूपये रोज पर टैंक मंगा रहे है। आवंटियों पर 4500 रूपये रोज का भार पड़ रहा है। आवंटियों की संख्या बढ़ने पर यह खर्च 35 हजार रूपये रोज का पड़ेगा। साथ ही

सेक्टर-5 में पीएसी की एक चौकी और अस्थायी पुलिस पिकेट की भी मांग की गई। इस दौरान नटवर लाल कर्दम, राजकुमार, संतराम, रजनी रानी, अर्जुन सिंह, सरिता, सुनीता, रामचरण सिंह, राधेश्याम गिरी आभास कौशिक आदि मौजूद रहे।

मानचित्र के लिए करे आवेदन अब मेडा दिलाएगा एनओसी

मानचित्र के लिए मेडा अब आवेदन लटकेगा नहीं बल्कि समय से पास होगा। अभी तक मेडा में ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल प्लान सिस्टम (ओबीपास) के अंतर्गत मानचित्र अटके रहते थे। इसमें विभिन विभागों से एनओसी न मिलने के कारण आवेदक परेशान होते थे। अब मेडा ही संबंधित विभागों से समन्वय स्थापित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेकर मानचित्र स्वीकृत करेगा।

ये है हाई रिस्क जोन

मेडा में नक़्शे पर आपत्ति अधिकांश हाई रिस्क जोन के नक़्शे में ही आती है। एमडीए की योजना तथा निजी योजना से इतर मुख्य मार्गो से बड़े निर्माण इसके तहत आते है। इसके तहत व्यवसायिक, औधोगिक निर्माण तो आते ही है, जिन्हे विभिन्न विभागों में एनओसी लेनी होती है।

SHIVANGI INTERNATIONAL

Dealing in:

Trading, Real Estate, Mining, Manufacturing, Hospitality, Distribution & Marketing

A-216, 2nd Floor, Apex Meerut Mall, Delhi Road, Meerut
Tel. 91-121-2517723, Mobile: 91-9997041110
Email: shivangi2@gmail.com, info@shivangiinternational.com
Website: www.shivangiinternational.com

अभी तक नहीं है रिकॉर्ड

मेडा के पास अभी इस तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अभी लोग आवेदन करते है और एनओसी को लेकर महज जानकारी ही देते है। ऐसे में किस विभाग के पास किस मानचित्र की एनओसी अटकी हुई है, इसका पता नहीं चल पता था। इसी के चलते नक्शो पर आपत्ति के कारण ये अटके जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा। मेडा के नगर नियोजक विजय कुमार सिंह ने बताया कि हर गुरुवार को मानचित्र दिवस में विभागों की एनओसी की भी समीक्षा होगी।

नक्शो का जल्द निस्तारण होगा, हर सप्ताह होगी समीक्षा

मेरठ विकास प्राधिकरण (मेडा) में ऑनलाइन बिल्डिंग अप्रूवल प्लान सिस्टम (ओबीपास) के तहत नक्शो का जल्द निस्तारण होगा। शासन के निर्देश पर मेडा उपाध्यक्ष श्री अभिषेक पांडेय ने हर सप्ताह नक्शो की समीक्षा के निर्देश दिए है। इन्होने बताया कि हर बृहस्पतिवार को मानचित्र दिवस का आयोजन किया जाएगा। इसके तहत चीफ टाउन प्लानर, टाउन प्लानर के साथ ही नियोजन विभाग का स्टाफ मानचित्र आवेदकों समस्याए सुनेगा और निस्तारण करेगा। आवेदक को एनओसी के लिए किए गए आवेदन की जानकारी देनी होगी। एमडीए एनओसी दिलाने की प्रक्रिया में सहयोग करेगा।

मानचित्र सात दिन में पास होगा, लोगो को नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और दूसरे विभागों में नहीं भटकना पड़ेगा

एमडीए: अब ऑनलाइन मिलेगी एनओसी

मानचित्र पास कराने के लिए अब लोगो को एनओसी के लिए नगर निगम, पीडब्ल्यूडी और दूसरे विभागों में नहीं भटकना पड़ेगा। डीएम के निर्देश पर अब एमडीए वीसी ने यह व्यवस्था की है कि एमडीए की वेबसाइट पर ही ऑनलाइन मानचित्र के साथ ही एनओसी के लिए भी आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए वेबसाइट पर एनओसी सेवा फीचर शुरू कर दी गई है अब एक सप्ताह में एमडीए वीसी ही दूसरे विभागों से एनओसी प्राप्त कराएंग।

अब तक मानचित्र के बाद आवेदकों को नगर निगम, पीडब्ल्यूडी समेत दूसरे विभागों में एनओसी के लिए भटकना पड़ता था। इसके लिए डीएम तक शिकायत पहुँचती थी। एमडीए वीसी श्री अभिषेक पांडेय ने बताया कि अब प्राधिकरण ने मानचित्र स्वीकृत के साथ ही ऑनलाइन एनओसी की भी व्यवस्था का फैसला किया है। अब किसी आवेदक को भटकना नहीं पड़ेगा। प्राधिकरण ही एनओसी की भी व्यवस्था करेगा। इससे आम लोगों, बिल्डरों को बड़ी राहत मिलेगी।

एमडीए की 17 योजनाओ का 20 दिन में होगा लैंड ऑडिट

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क मेरठ विकास प्राधिकरण की सभी 17 योजनाओं की जमीन का 20 दिनों में लैंड ऑडिट होगा। संपत्ति और अर्जन के बाबुओं की ओर से सारा रिकार्ड तैयार किया जाएगा। उसके बाद मौका-मुआयना किया जाएगा। एमडीए वीसी अभिषेक पांडे ने कहा केवल इतना जानना चाहते हैं कि प्राधिकरण की कुल कितनी जमीन थी और कितना आवंटन हुआ। प्राधिकरण सभागार में एमडीए वीसी ने प्राधिकरण के सभी बाबुओं के साथ बैठक की। उन्हें बताया गया कि किस तरह लैंड ऑडिट करना है। प्राधिकरण की कुल 17 योजनाएं हैं। किस योजना में कुल कितनी जमीन थी। कितनी जमीन का नियोजन हुआ। कितने का आवंटन किया गया। कितनी जमीन और संपत्ति अब भी रिक्त है।

SANGAL PAPERS LTD.

Manufacturing Papers Based on Customer Needs

Newsprint Paper, Superior Kraft Paper, Construction/Pastel Paper, Envelope Grade Paper, Ribbed Kraft Paper, High Bulk Paper Writing/Printing Paper, MG poster Grades & Other Specialized Grades Paper

Regd. Office/ Works
Village Bhainsa, 22 Km.
Meerut-Mawana Road, Mawana
Ph.: 01233-271137, 271464, 271515, 274324

इस तरह होगा एमडीए का लैंड ऑडिट

• सबसे पहले नियोजन विभाग की ओर भूखंडों का तैयार होगा ब्योरा (पॉकेट-1,ए,बी,सी,डी आदि के आधार पर)

• अधिष्ठान विभाग की ओर से संपत्ति बाबुओं की ओर से तैयार होगा ब्योरा

• नियोजना विभाग और संपत्ति विभाग से भूखंडों का मिलान

• संपत्ति विभाग आवंटित और अनावंटित संपत्ति का ब्योरा तैयार करेगा

• नियोजन, अभियंत्रण, राजस्व विभाग की टीम मौका-मुआयना कर कार्रवाई करेगी

• अतिक्रमण हुआ तो हटाने की कार्रवाई होगी।

बिजली समस्या का नहीं हुआ समाधान तो मिलेगा मुआवजा

प्रदेश में अब बिजली से जुड़ी समस्या में शिकायत के बाद भी समाधान नहीं होता है तो उपभोक्ता को मुआवजा मिलेगा। इस संबंध में नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष को निर्देश भी दिया है। यह भी कहा है कि शिकायत के लिए ऑनलाइन सिस्टम बनाएं। हर तीसरे माह मुआवजे के संबंध में आयोग को रिपोर्ट भी देनी होगी। इस आदेश के जरिए आयोग ने विश्व उपभोक्ता दिवस पर उपभोक्ताओं को तोहफा दिया है। प्रदेश में स्टैंडर्ड ऑफ़ परफॉर्मेंस रेगुलेशन 2019 लागु है। इसके बाद भी अभी तक उपभोक्ताओ को मुआवजा नहीं मिलता है। इस मामले को लेकर राज्य उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में जनहित याचिका लगा रही थी इसी पर सुनवाई करते हुए विधुत नियामक आयोग ने बिजली उपभोक्ताओं को तत्काल मुआवजा देने पर सहमति जताई। नियामक आयोग के चेयरमैन आरपी सिंह के निर्देश पर आयोग के सचिव संजय कुमार सिंह ने तत्काल पावर कॉपोरेशन अध्यक्ष एम देवराज को पत्र भेजा है। इसमें मुआवजा कानून लागू न होने को उपभोक्ताओं का अपने अधिकार से वंचित होना बताया है। साथ ही यह भी कहा है कि इससे विकासशील अर्थव्यवस्था की उम्मीदे पूरी नहीं हो पाएँगी। उन्होंने निर्देश दिया है कि यह सुनिश्चित करे कि पूरी व्यवस्था ऑनलाइन रहेगी, जिससे उपभोक्ता आसानी से

लाभ उठा सके। वहीँ उपभोक्ता परिषद् के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने बताया कि इस आदेश से उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। जल्द ही कॉपोरेशन शिकायत दर्ज कराने के संबंध में नंबर जारी करेगा। विधुत उपभोक्ताओं की समस्याओ जैसे ब्रेकडाउन, केबल फाल्ट, ट्रांसफार्मर, नया कनेक्शन, मीटर रीडिंग, लोड घटना-बढ़ाना व अन्य मामले में मुआवजा मिलेगा।

कितने दिन में मिलेगा:

उपभोक्ताओं को उनकी शिकायत का निस्तारण न होने पर अधिकतम 60 दिन में मुआवजा मिल जाएगा। आयोग द्वारा जारी कानून में उपभोक्ता को एक वित्तीय वर्ष उसके फिक्स कर्ज/ डिमांड चार्ज के 30 प्रतिशत से अधिक का मुआवजा नहीं दिया जाएगा। उदाहरण के तौर पर जैसे एक किलोवाट का उपभोक्ता यदि महीने में 110 रूपये प्रति किलोवाट फिक्स चार्ज देता है तो उसका पुरे साल का फिक्स चार्ज 1320 रूपये हुआ। उसे अधिकतम एक वित्तीय वर्ष में 360 रूपये का ही मुआवजा मिलेगा।

- नियामक आयोग ने पावर कॉर्पोरेशन मुआवजा कानून लागू करने का दिया आदेश कार्पोरेशन
- हर तीसरे दिन मुआवजा के संबंध में कॉपोरेशन को देनी होगी रिपोर्ट

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT. LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt.

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com, info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

15 मिनट से ज्यादा बत्ती गुल रही तो देना होगा जवाब

गर्मी में निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए अफसरों को नजर रखनी होगी। 15 मिनट अधिक किसी भी फीडर पर बिजली गुल हुई तो अधिकारियो को कंट्रोल रूम को सुचना देनी होगी। फाल्ट अंटेड कर बिजली आपूर्ति सुचारु कराने में लापरवाही पर विभागीय कार्रवाही होगी। एमडी के निर्देश के बाद अधीक्षण अभियंता स्तर से निगरानी निर्देश जारी कर दिए गए है। फाल्ट अंटेड करने में देरी होने से घंटो बिजली आपूर्ति बाधित होने की शिकायते लगातार पावर कारपेरिशन अफसरों को मिल रही है। एमडी चैत्रा वी. में मेंटीनेंस कार्य कराने तथा अन्य तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए है। अधीक्षण अभियंता शहर राजेंद्र बहादुर ने जेई से लेकर अधिशासी अभियंता तक बिजली आपूर्ति को लेकर निर्देश जारी कर दिए। कहा कि जर्जर तार और खंभे बदलने के साथ ओवरलोड ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि करा ले। यदि किसी भी फीडर पर 15 मिनट से अधिक बिजली गुल हुई तो इसकी सुचना अफसरों को दी जाए। सुनिश्चित करना होगा कि फाल्ट तत्परता से अंटेड हो और बाधित बिजली आपूर्ति जल्द सुचारु कराई जाए।

कंट्रोल रूम से सीधे एमडी को जाएगी सुचना

ऊर्जा भवन में स्थापित कंट्रोल रूम के जरिए भी पश्चिमांचल के सभी 14 जिलों की बिजली आपूर्ति पर निगरानी रखी जा रही है। किसी फीडर पर 15 मिनट से अधिक बिजली आपूर्ति बाधित रहती है तो उसकी सूचना सीधे एमडी को भेजी जा रही है। कंट्रोल रूम में अधिशासी अभियंता एवं अन्य अधिकारी सीधे संबंधित फीडर के जेई-एसडीओ को फ़ोन कर बिजली आपूर्ति बाधित होने की वजह जानने के साथ आपूर्ति सुचारु कराने निर्देश दे रहे है।

THE RUG REPUBLIC
Live Smart, Buy Right.

Kirti Nagar/Delhi: 2/5, WHS
(150m from Kirti Nagar Fire Station)
Noida: A-32, Sector 63
(Off Nh24, Opp. Indirapuram)
MG ROAD/DELHI: M.G. Road, Ghitorni (Pillar #128)
Live.smart@tfrhome.com / www.tfrhome.com

मेडिकल कॉलेजो को भू उपयोग बदलने पर शुल्क में छूट

राज्य सरकार ने पीपीपी मॉडल पर बनने वाले 16 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क में 100 फीसदी छूट दे दी है। वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक इकाइयों को भू-उपयोग परिवर्तन पर 75 फीसदी की छूट मिलेगी। यह छूट नई वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति की शर्तों को पूरा करने पर नोडल संस्था से लेटर ऑफ कंफर्ट के आधार पर ही मिलेगी। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी जिले में एक मेडिकल कॉलेज शुरू कराने जा रही है। इसमें 16 ऐसे असेवित जिले हैं जहां पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज बनाए जाने हैं। इसके लिए हुए कराने के आधार पर निजी सहभागिता से बन रहे मेडिकल कॉलेजों को भू उपयोग शुल्क में 100 प्रतिशत छूट देने की बात कही गई है। आवास विभाग ने इसे मंजूरी दे दी है। वहीं वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक इकाइयों के लिए नई नीति में किए गए प्रावधानों के तहत छूट दी जाएगी।

भू उपयोग बदलने पर नया शुल्क

शहरो में भू उपयोग स्वतः बदलने पर नगरीय विकास प्रभार शुल्क लेने पर विचार किया जा रहा है। इसके साथ ही इसमें हर 10 साल पर संशोधित मास्टर प्लान बनाने की अनिवार्यता की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम में संशोधन संबंधी प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण हुआ। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने इसमें कुछ जरुरी संशोधन का सुझाव दिया है। उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम वर्ष 1973 में तैयार किया गया था। मास्टर प्लान में भू-उपयोग की स्थिति स्पष्ट की जाती है। इसमें पहले से प्रस्तावित भू- उपयोग जरूरत के आधार पर बदल दिए जाते है। कुछ का आवासीय से व्यावसायिक और कुछ कृषि से आवासीय के हो जाते है, लेकिन एवज में परिवर्तन शुल्क लेने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसीलिए आवास विभाग ने नगरीय विकास प्रभार शुल्क लगाने का प्रावधान किया है।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जितिन प्रसाद

यूपी के राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रीन हाईवे बनाए जाएंगे

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों को ग्रीन हाइवे के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बांस के क्रैश बेरियर लगाए जाएंगे। ऐसा कई अन्य प्रदेशों में भी किया जा रहा है। साथ ही हाइवे की मजबूती के लिए कटे-फटे पुराने रबर टायरों से प्राप्त क्रम्ब रबर का उपयोग बिटुमिन में मिक्स करते हुए किया जाएगा। यह निर्णय केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के आवास पर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद की मौजूदगी में हुई बैठक में लिया गया।

बैठक में नए राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, रिंग रोड के निर्माण, प्रदेश में रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर आरओबी निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों के बाईपास बनने के उपरान्त छूटे शहरी या आबादी भागों के सुधार से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा हुई।

खाध प्रसंस्करण उधोग: भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क नहीं लगेगा

राज्य सरकार ने प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में उद्योग लगाने वालों को बड़ी राहत दी है। आरक्षित श्रेणी की भूमि को औद्योगिक भू-उपयोग में परिवर्तन कराने पर लगने वाले शुल्क को समाप्त कर दिया गया है। प्रमुख सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने इस संबंध में बुधवार को शासनादेश जारी कर दिया है। इसके साथ ही जमीन लेने के लिए गाटा संख्या देने की अनिवार्यता भी समाप्त कर दी गई है। राजस्व विभाग की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि यह सुविधा खाध प्रसंस्करण उधोग नीति 2023 के तहत परियोजना लगाने वाले उधमियों को दिया जाएगा।

ANAMIKA UDYOG

MANUFACTURES OF:

SURGICALS DRESSINGS

Address: 61/1, Madhuban Colony, Baghpat Road, Meerut-250002

E-mail: anamikaudyog@hotmail.com

Mobile No.: 9837031861, 9927025661

तकनीकी रोजगार के अवसर सृजित होंगे

प्रदेश के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित रेलवे क्रासिंग पर आरओबी बनाने का काम अब उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम द्वारा किया जाएगा। इसके लिए सेतु निगम को कार्यदायी संस्था नामित करते हुए एमओयू के आधार पर आरओबी के कार्य कराए जाएंगे। इससे निगम को नई तकनीक से काम करने के अवसर मिलने के साथ ही करीब 5 हजार करोड़ के कार्य आदेश प्राप्त होंगे। प्रदेश में तकनीकी रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। राष्ट्रीय राजमार्गों के बाईपास बनने के उपरान्त छूटे हुए शहरी व आबादी भागों को वन टाइम मेंटीनेंस पॉलिसी के तहत कंक्रीट रोड बनाते हुए सुधारीकरण व सौंदर्यीकरण का काम एनएचएआई द्वारा कराया जाएगा। इसमें यूटिलिटी डक्ट का काम भी शामिल है। मेरठ एक्सप्रेस-वे निर्माण में टूटी सड़कें एजेंसी बनाएगी।

खुशखबरी: पीएफ पर अब ज्यादा ब्याज मिलेगा

ईपीएफओ ने बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) पर वित्त वर्ष 2022- 23 के लिए ब्याज दर बढ़ाकर राहत देने का निर्णय लिया। श्रम मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के निर्णय लेने वाले शीर्ष निकाय एवं केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाले केंद्रीय न्यासी बोर्ड यानी सीबीटी ने 2022- 23 के लिए सदस्यो के ईपीएफ जमा पर वार्षिक 8.15 प्रतिशत की दर से ब्याज देने का निर्णय लिया है। बयान के मुताबिक यह ब्याज दर और 663.91 करोड़ रूपये का अधिशेष पिछले वर्ष की तुलना में अधिक है। ईपीएफओ पिछले कुछ वर्षो में न्यूनतम ऋण जोखिम के साथ विभिन्न आर्थिक चक्रो के माध्यम से अपने सदस्यो को उच्च आय वितरित करने में सक्षम रहा है। पांच करोड़ से अधिक अंशधारको के साथ ईपीएफओ दुनिया की सबसे बड़ी समाजिक सुरक्षा योजनाओ में से एक है। विशेषज्ञों का कहना है कि निवेश के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, ईपीएफओ की ब्याज दर उपलब्ध अन्य निवेश विकल्पों की तुलना में अधिक है।

अंशधारकों के लिये ई- पासबुक सुविधा शुरू

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव ने ईपीएफओ के अंशधारकों के लिए ई- पासबुक सुविधा शुरू की। ईपीएफओ ने बयान में कहा कि इसके साथ सदस्य विस्तार से अपने खातों का विवरण देख सकेंगे। श्रम मंत्रालय के आधिकारिक आकड़ो के अनुसार, ईपीएफओ ने इस साल जनवरी में 14.86 लाख अंशधारकों को जोड़ा।

सरकार से मंजूरी मिलने पर खाते में जाएगा पैसा

अब सीबीटी के निर्णय के बाद, 2022- 2023 के लिए ईपीएफ जमा पर ब्याज दर की जानकारी वित्त मंत्रालय के पास मंजूरी के लिए भेजी जाएगी। सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 2022- 23 के लिए ईपीएफ पर ब्याज ईपीएफओ अंशधारकों के खातों में डाल दिया जाएगा। कर्मचारी संगठन बैंक एफडी पर ऊंचे ब्याज के मद्देनजर ब्याज बढ़ाने की मांग कर रहे है।

SARU METALS

SARU SMELTING PRIVATE LIMITED

SARU NAGAR, SARDHANA ROAD, MEERUT- 250001 (INDIA)

Tel.: 0121-2556051, 2555449, Fax: 0121-2555969

Email: info@sarumetals.com

Website: www.sarumetals.com

कांवड़ पटरी मार्ग के निर्माण का रास्ता साफ, जल्द कटेंगे पेड़

अब गंगनहर की दायी पटरी पर 110 लंबे चौधरी चरण सिंह कावड़ मार्ग पर शीघ्र काम शुरू हो जाएगा। पेड़ो का सर्वे पूरा हो गया। वन विभाग से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र मिल गया है। जल्द पटरी से पेड़ काटने का काम शुरू हो जाएगा। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने समीक्षा बैठक में कांवड़ पटरी मार्ग पर शीघ्र काम शुरू करने के निर्देश दिए। गंगनहर की दायी पटरी पर नया चौ. चरण सिंह मार्ग उप्र के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता में है। गाज़ियाबाद से मेरठ होते हुए मुज़फरनगर तक बनने वाले कावड़ मार्ग के लिए 628 करोड़ रूपये का बजट प्रस्तावित है। 249 करोड़ का बजट पास हो गया है। 125 करोड़ रूपये से कई स्थानों पर सेतु निगम को पुल निर्माण के लिए दिए जाएंगे। पीडब्ल्यूडी ने जनवरी में ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली थी। कांवड़ पटरी पर खड़े पेड़ो को हटाने के लिए वन विभाग काफी समय से एनओसी नहीं दे रहा था। अब एनओसी जारी कर दी गई है।

तय समय में काम होगा पूरा

कांवड़ पटरी मार्ग की टेंडर प्रक्रिया पूरी हो चुकी है शीघ्र ही पेड़ो को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश जारी किए गए है। निश्चित समय सीमा के अंदर ही नया कावड़ मार्ग जनता को सौंप दिया जाएगा। दीपक मीणा, जिलाधिकारी

कांवड़ पटरी मार्ग एक नजर में

- मेरठ सीमा में कांवड़ पटरी मार्ग के लिए जमीन 84.60 हेक्टेयर
- मुज़फ्फरनगर क्षेत्र में पटरी मार्ग की जमीन 113.68 हेक्टेयर
- गाज़ियाबाद क्षेत्र में पटरी मार्ग की जमीन 24.70 हेक्टेयर
- 110 किमी लंबाई वाले कांवड़ पटरी मार्ग से हटाए जाएंगे पेड़ 112722 लाख

DAS HYUNDAI

At Hyundai, We are going

Beyond Mobility

Das Building, Abulane, Meerut

Mob: 9557909977, 9557909988

आयातित सामान पर भी हॉलमार्किंग होगी

विदेशो से आयात होने वाले घटिया और स्तरहीन उत्पादों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार नए नियम बनाने की तैयारी कर रही है। सरकार आने वाले महीनों में 250 से 300 ऐसे उत्पादों को 'बीएसआई हॉलमार्किंग के दायरे में लाएगी, जिससे स्तरहीन उत्पादों के आयात को नियंत्रित किया जा सके। ऐसे आयातित उत्पादों से घरेलू विनिर्माण को भी नुकसान पहुंच रहा है। खबरों के अनुसार, इनमें सिगरेट, लाइटर, पेन और घरेलू बिजली के सामान शामिल हैं।

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग इसकी तैयारी में जुट गया है और अगले कुछ महीनों में गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी विभिन्न मानकों को जारी किया जा सकता है। नए सिरे से विभिन्न मानक जारी करने के पीछे उदेश्य सिर्फ स्तरहीन आयातित सामान की बिक्री पर रोक लगाना ही नहीं, बल्कि घरेलू स्तर पर भी इसे सुनिश्चित किया जाएगा।

निर्देश नहीं मानने पर सजा का प्रावधान

गुणवत्ता नियंत्रण नियम का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ सजा और जुर्माने का भी प्रविधान किया जा सकता है। पहली बार पकड़े जाने पर दो लाख तो दूसरी बार में पांच लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जा सकता हैं। नियम के उल्लंघन में दो साल की जेल का भी प्रावधान किया जा सकता है।

INDKRAFT EXPORTS

Manufacturers and Exporters of:

Indian Handicrafts, Silk, Woollen, Viscose, Cotton Shawls, Stoles, Pareos & Scarves

Bombay Bazar, Meerut Cantt- 250001
Phone: 0121-2664103, 4034103, 4322020
Fax: 91-121-2660063
Mobile: 9536202020
E-mail: info@indkrafts.com

इससे घरेलू उधोगो को बढ़ावा मिलेगा

नए मानकों से निर्माण क्षेत्र में भारत की ब्रांडिंग होगी और दुनियाभर में यह संदेश जाएगा कि भारत में मिलने और बिकने वाला सामान अच्छे मानक वाला है|इससे देश के घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और लोगों का भारतीय उत्पादों पर भरोसा बढ़ेगा। भविष्य में इससे आयात कम होने और निर्यात बढ़ने की भी संभावना है।

खिलौनों के लिए बने नए मानक से हुआ लाभ

दो साल पहले खिलौनों की गुणवत्ता नियंत्रण को लेकर भी सरकार ने मानक तय किए थे और उसे सख्ती से लागू करने से घटिया खिलौनों के आयात पर रोक लग गई। इससे घरेलू स्तर पर अच्छी गुणवत्ता वाले खिलौने का निर्माण शुरू हो गया। साथ ही गुणवत्ता नियंत्रण आदेश आयात को कम करने और देश में बने सामानों को बढ़ावा देने में सफल रहा है।

ई-फाइलिंग: मेरठ समेत कहीं से भी हाईकोर्ट में कर सकेंगे केस

सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए अब मेरठ समेत देश भर में कहीं से भी हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए केन्द्र सरकार ने देश भर में 4400 से अधिक ई-फाइलिंग केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। मेरठ में भी ई-फाइलिंग सेंटर खोले जाने का प्रस्ताव है। यह जानकारी केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा सांसद डा. लक्ष्मीकांत वाजपेयी के एक पत्र को लेकर दी है। राज्यसभा सांसद ने कोरोना काल का उदाहरण देते हुए वर्चुअल पद्धति से जिले से ही हाईकोर्ट में वाद दायर कर सुनवाई का अनुरोध किया था। उन्होंने कहा था कि यह व्यवस्था पहले से सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट, कुछ राज्यों में है। उत्तर प्रदेश में भी हाईकोर्ट में ई-फाइलिंग की व्यवस्था लागू होने से आम लोगों के लिए न्याय पाना आसान होगा। इस संबंध में केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर कहा है कि केन्द्र सरकार ने देश भर में 4400 से अधिक ई-फाइलिंग केन्द्र खोलने का निर्णय लिया है। इन ई-सेवा केंद्रों के साथ सभी जिलों को कवर करने वाले अदालत परिसरों को जोड़ने का प्रस्ताव है।

पैन निष्क्रिय होने पर रिफंड नहीं मिलेगा

पैन को आधार से जोड़ने की समयसीमा बढ़ाने के बाद वित मंत्रालय ने बयान में कहा कि कोई भी व्यक्ति संबंधित प्राधिकरण को आधार से पैन जोड़ने के लिए अपनी आधार संख्या की जानकारी दे सकेगा। आधार की जानकारी देने में विफल रहे करदाताओं का पैन एक जुलाई, 2023 से निष्क्रिय हो जाएगा। एक बार पैन के निष्क्रिय होने के बाद संबंधित करदाता न तो कर रिफंड और न ही उस पर ब्याज का दावा कर पाएगा। इसके अलावा उससे टीडीएस भी अधिक दर पर लिया जाएगा।

India on track to achieve USD 2 trillion exports by 2030: Piyush Goyal

Commerce and Industry Piyush Goyal on Friday exuded confidence that India's merchandise and services exports will cross USD 2 trillion by 2030 from the current level of USD 765 billion, as he unveiled a "dynamic and responsive" foreign trade policy.

He said that goods exports have witnessed good growth considering the current global scenario while services exports may see a quantum jump in the current fiscal.

We have to meet our exports targets going forward," said the minister, adding that "we will need to work a bit harder" on goods exports.

"It shouldn't be that by 2030, services exports cross USD 1 trillion while you (merchandise exports) lag behind. I am confident that we will cross USD 2 trillion by 2030," Goyal said.

The minister said he has asked the Department of Commerce to undertake a "massive focused concentrated" outreach globally in the next 4-5 months sectorally as well as country-wise through Indian missions abroad with special focus on trade, technology, tourism and investment.

India's total exports growth decelerated to 13.4 per cent in 2022-23 annually from 36 per cent expansion in the previous financial year as global demand was affected following outbreak of Russia-Ukraine war in February 2022 and other geopolitical reasons.

"We will achieve exports of USD 1 trillion each in goods and services by 2030," Goyal said.

The Foreign Trade Policy 2023 outlines a host of measures and incentives to boost exports from India.

FTP aims to spur e-commerce exports with series of measures

The Foreign Trade Policy (FTP) 2023 has outlined a slew of measures like extending all FTP benefits to e-commerce exports, and doubling the value limit for exports through courier to Rs 10 lakh per consignment, with estimates pegging the potential of growth in e-commerce exports to USD 200-300 billion by 2030. To spur e-commerce exports, the FTP 2023 unveiled by Commerce Minister Piyush Goyal on Friday, also proposes to create a designated zone with a warehousing facility, to help e-commerce aggregators towards easy stocking, customs clearance and returns processing.

The processing facility will be allowed for last-mile activities such as labelling, testing, and repackaging amongst others.

All FTP benefits will be extended to e-commerce exports, and the value limit for exports through courier service is being increased to Rs 10 lakh per consignment, up from Rs 5 lakh.

As per the policy, guidelines will be formulated in consultation with other ministries to facilitate further exports under e-commerce.

The necessary enablement of IT systems in Department of Commerce, Post CBIC will be undertaken in six months.

According to estimates e-commerce exports are expected to grow to USD 200-300 billion by 2030.

INDRA BRICK WORKS

Manufacturers of:
MOHAN BRAND Quality Bricks and Tiles

KARTAR SINGH & SONS
Warehouses Unit's

Office:
6-B, Shambhu Nagar, Baghpat Road,
Meurut City-250002
Phone: 0121-4002210
Email: rajinder_2068@yahoo.com

Works:
Malyana Before Bypass,
Baghpat Road,
Opp. Delhi Public School
Meerut City

As per the policy, Dak Ghar Niryat Kendras will be operationalised throughout the country to work in a hub-and-spoke model with foreign post offices to facilitate cross border e-commerce and also to enable artisans, weavers, craftsmen, MSMEs in the hiterland and landlocked regions to access international markets.

The policy also talks about special outreach and training activities for small e-commerce exporters, and handholding through industry and knowledge partners.

Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) Chairman Sandeep Narula noted that focus on e-commerce window for exports, stress on setting up a consultative mechanism for addressing concerns of the exporting community, amnesty scheme for one-time settlement of defaults in export obligations, greater engagements with states for export promotion are "welcoming features".

According to ESC, long-term policy, which would undergo course correction, whenever required, is dynamic and in line with the felt needs of the industry and exporters.

"India needs a critical policy push and heightened commitment of the stakeholders including state governments, industry and exporting community to work towards achieving USD 2 trillion exports by 2030," Narula said adding that the current pick-up in exports, which is poised to touch USD 765 billion, overshooting the target set by the end fiscal 2023 gives the hope that the target is well within the achievable realm.

ESC observed that on the lines of incentive schemes drawn up for the electronic hardware sector, a similar scheme should be formulated for the software sector, as well.

"Historically, this sector has grown up on its own and there is a case for some targeted incentives for the sector, particularly for the identification of markets and for undertaking R&D efforts," Narula added.

STAG INTERNATIONAL

Manufacturers & Exporters of:

Sports Goods

A-19/20, Udyog Puram, Delhi Road, Meerut- 250103

Ph. No.: 0121-2440976, 2440993, 2441035

Fax: 0121-2441009

Email: stagin@gmail.com, Info@stag.in

Foreign Trade Policy 2023 unveiled, govt breaks tradition of target year

Unveiling the much-awaited Foreign Trade Policy, Commerce Ministry on Friday broke the tradition of a policy lasting for five years and will instead adopt a 'long-term' focus. There is no end date to the policy and will be updated as and when necessary, the ministry said.

Further, the new policy will be shifting from incentives to a remission and entitlement-based regime.

"The policy will be dynamic. There is no end date to ensure when we have feedback, we will keep changing this document and update it. If there is a sector which feels this FTP does not have anything for them, don't feel disappointed," Santosh Sarangi, Director General of Foreign Trade (DGFT) said.

A consultative mechanism to address the concerns of trade will be put in, he added.

The FTP benefits have been extended to e-commerce exports, which are estimated to grow to USD 200-300 billion by 2030. The value limit for exports through courier service is being increased from Rs 5 lakh to Rs 10 lakh per consignment, he said.

The new FTP also seeks to make the Indian rupee a global currency and allow international trade settlement in the domestic currency. The DGFT said that the overall exports, inclusive of merchandise and services, are likely to touch $770 billion in FY23, against $676 billion in FY22.

"We will undertake a massive outreach globally in the next four months to boost exports," Union Minister Piyush Goyal said.

The policy seeks to encourage e-commerce exports which is expected to grow to $200-300 bn by 2023. An amnesty scheme for one-time settlement of default in export obligation has also been introduced.

Further, Faridabad, Moradabad, Mirzapur and Varanasi have been declared as towns of export excellence.

Top takeaways from the policy:

- FTP to provide the policy continuity and a responsive framework
- Approach of FTP: From Incentive to Remission
- Introduces scheme for remission of duties, taxes and govt levies on export goods
- Digitisation of applications pertaining to FTP
- Automatic system-based approval of FTP applications
- Pilot introduced for cutting processing of applications related to advance authorisation to 1 day
- Norms for recognition as Star Trading Houses eased
- Promotes trade in Indian Rupee
- Introduces provisions for merchanting trade
- Dairy sector to be exempted from maintaining average export obligation * Battery electric vehicles; vertical farming equipment & green hydrogen eligible for reduced obligation under Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme
- Special advance authorization scheme extended for apparel & clothing sector
- Extends all FTP benefits to e-commerce exports
- Value limit for exports through courier service increased from Rs 5 lakh to Rs 10 lakh per consignment
- Focus on engaging with states & districts through Districts as Export Hubs initiative
- Aims at streamlining export of dual use items under SCOMET policy
- Introduces amnesty scheme for one-time settlement of default in export obligation by advance authorisation and EPCG authorisation holders
- FTP to be dynamic and responsive to the emerging trade scenario
- Restructuring of Department of Commerce on the anvil to make it future-ready

India's new policy will also automate some trade approvals and cut charges for medium-sized and small businesses to secure some government-backed benefits.

Kulraj Ashpnani, partner at Dhruva Advisors said the FTP aims to boost domestic manufacturing, strengthen export base and encourage ease of doing business, and it is a step ahead of the previous foreign trade policies.

"The focus on digitization and expeditious approvals, globalization of rupee, extending benefits to e-commerce industry are forward looking initiatives by the Ministry of Commerce and will support the industry in long run. Also, the introduction of the Amnesty Scheme will help the genuine exporters who had failed to fulfil export obligations in the past," Ashpnani said.

The current foreign trade policy (2015-20) is in force till March 31, 2022. The term of the previous five year policy had ended in March 2020. However, it has been extended repeatedly in wake of Covid outbreak and resulting lockdowns. The last extension was given in September 2022 till March 31, 2023.

India's trade has been hit by supply chain disruptions and slowdown in global trade amidst ongoing Russia-Ukraine war.

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (महंगाई भत्ता 01-04-2023 से 30-09-2023)

न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत राजाज्ञा संख्या–194/36 –3–2014–07 (न्यू०व०)/4 दिनाक: 28–1–2014 द्वारा 50 तथा अधिसूचना संख्या–850/36–03 –2019 –931(न्यू०वे०)/06 दिनांक:: 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित नियोजनों में नियोजित कर्मकारों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महंगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दरें मासिक आधार पर निर्धारित की गयी है उनकी दैनिक दर, मूल मजदूरी और परिवर्तनीय मंहगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/8 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में निम्नांकित 74 नियोजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष(2001=100) माह जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 216 अंको के ऊपर जुलाई 2022 से दिसम्बर 2022 के औसत अंक 379 पर दिनांक: 1–04–2023 से 30–9–2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित दृष्टान्त की भाँति गणना करके देय होगा:–

दृष्टान्त–रूपये 5750/–प्रतिमाह मजदूरी पाने वाले अकुशल श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक–379पर दिनांक: 1–04–2023 से दिनांक: 30–9–2023 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महंगाई भत्ता निम्नलिखित होगा।

(379–216)

.... X5750= रू0–4339/–प्रतिमाह

216

विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी,परिवर्तनीय महंगाई भत्ता, की मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें।

क्रमांक	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपये में	दिनांक:1.10.2022 से 31.3.2023 तक (कुल मजदूरी रू0 में)	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक कुल मजदूरी (रूपये में) (3+5)	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक दैनिक मजदूरी (रूपये में) (1/26)
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	9743	4339	10089	388
2	अर्धकुशल	6325	10717	4773	11098	427
3	कुशल	7085	12005	5347	12432	478

2 ईंट भट्ठा उद्योग नियोजन में नियोजित श्रमिकों की मजदूरी निम्नवत् है–

क्रमांक	श्रेणी	दिनांक:1.04.2023 से 30.9.2023 तक		
1 2	अकुशल कुशल	उपरोक्त तालिका के क्रमांक 1 व 3 के अनुसार न्यूनतम वेतन देय होगा		
		मूल मजदूरी	परिवर्तनीय महंगाई भत्ता रू0 में	कुल मजदूरी(रूपये में)
2	पथेरा	रू0–365	रू0–275	रूपया–640/– प्रति हजार
	भराईवाला (1) 500 मीटर की दूरी तक (2) 500 मीटर से अधिक	 रू0–110 रू0–132	 रू0–83 रू0–100	 रूपया–193/– प्रति हजार रूपया–232/– प्रति हजार
3	निकासी वाला	रू0–110	रू0–93	रूपया–193/ - प्रति हजार

XXXXXXXXXXXXXX